जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली चोरी प्रकरण में दो गिरफ्तार

साढे पांच लाख रुपए से भी अधिक राशि का जुर्माना

जयपुर, 23 अगस्त। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गत दिनों चलाए गए विशेष सतर्कता जांच अभियान के दौरान विद्युत मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने के दो प्रकरणों में 5 लाख 58 हजार 815 रुपए की राशि का निर्धारण किया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा 2 लाख 78 हजार 704 रुपए की राशि जमा करवा दी है। बिजली चोरी के इन प्रकरणों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, जयपुर शहर द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही जारी है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री जे0सी0 शर्मा ने बताया कि जून, 2012 में सहायक अभियन्ता, चौमूं द्वारा सतर्कता जांच के दौरान चौमूं निवासी सीताराम पुत्र भगवान दास गोयनका को आटा मील के विद्युत मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया एवं मौके पर ही प्रोविजनल वैधानिक दायित्व राशि रुपए 5 लाख 11 हजार 407 का निर्धारण कर दोषी उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, जयपुर शहर में अभियोग दर्ज करवाया गया। इस प्रकरण में आरोपी द्वारा 2 लाख 55 हजार रुपए की राशि जमा करवा दी गई है। इसी तरह अधिशाषी अभियन्ता, सतर्कता जयपुर नगर वृत द्वारा अगस्त, 2012 में सिन्धी कालोनी, जवाहर नगर, जयपुर निवासी लक्ष्मणदास पुत्र बलीराम को घरेलू विद्युत मीटर को टैम्पर्ड कर बिजली चोरी करते हुए पाये जाने पर प्रोविजनल वैधानिक दायित्व राशि रुपए 47 हजार 408 का निर्धारण किया गया, जिसमें से आरोपी द्वारा राशि रुपए 23 हजार 704 जमा करवा दी गई है। इस प्रकरण में भी विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, जयपुर शहर में अभियोग दर्ज करवाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) ने बताया कि अनुसंधान के दौरान थानाधिकारी, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, जयपुर शहर द्वारा विद्युत उपभोगकर्ता अभियुक्त कालूराम पुत्र सीताराम गोयनका निवासी चौमूं एवं सिन्धी कालोनी, जवाहर नगर निवासी लक्ष्मणदास पुत्र बलीराम को गिरफ्तार कर माननीय विशिष्ट न्यायाधीश (विद्युत अपराध) न्यायालय ए.डी. जे.–प्रथम, जयपुर में पेश किया गया। इन दोनो प्रकरणों में आरोपियों कें विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही जारी है।

समस्त आम–जन से अपील है कि राष्ट्र एवं प्रदेश के हित में बिजली चोरी न तो स्वयं करें और न ही अन्य को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। बिजली चोरी एक अपराध है एवं इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है। जिसका परिणाम बिजली चोरी करने वाले के साथ ही उसके परिवार एवं अन्य ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है। कहीं पर भी बिजली चोरी देखें तो उसकी सूचना नजदीक के निगम कार्यालय को अवश्य दें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 340/2012